राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005
फोनः– 2740219, 2740252,2740292 (फैक्स) email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
website:www.sipf.rajasthan.gov.in

यू.ओ नोट

विषयः– विभाग की वेबसाइट में FAQ के अपडेशन के संबंध में।
संन्दर्भः– आपका यू0ओ0 नोट क्रमांक एफः71 / पार्ट–3 / कम्प / वेबसाईट / 2019 / 1197–1201 दिनांक 08.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि मेडिक्लेम योजना से संबंधित FAQ में संशोधन कर संपूर्ण FAQ की हार्ड कॉपी तथा सॉफ्टकॉपी में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(शिप्रा विक्रम)
अतिरिक्त निदेशक (मेडि.)
सा0 बी0 नि0 विभाग

www.rajteachers.com

अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम)
राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग
बनीपार्क, जयपुर

No:-F1(195) / सिस्टम / मेडि./20-21/ 960 **Date:-** 14/10/20

FAQs
For Mediclaim Policies

प्रश्न 1 : राजमेडिक्लेम योजना किन कर्मचारियों पर लागू है ?

उत्तर : मेडिक्लेम योजना 01.01.2004 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों पर परिवीक्षाकाल से लागू है।

प्रश्न 2 : क्या मेडिक्लेम योजना राज्य सरकार के निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों पर लागू है।

उत्तर : हां, मेडिक्लेम योजना 01.01.2004 से नियुक्त राज्य सरकार के निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों पर उनका प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से लागू है।

प्रश्न 3 : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राजमेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम कौन देता है?

उत्तर: राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राजमेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न 4 : राज्य सरकार के निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम कौन देता है?

उत्तर: राज्य सरकार के निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों के लिए उनके संस्थान द्वारा प्रीमियम का वहन किया जाता है।

प्रश्न 5 : राजमेडिक्लेम पॉलिसी का बीमाधन क्या है?

उत्तर: राजमेडिक्लेम पॉलिसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जारी की जाती है व वर्तमान में इसका बीमाधन रू. 3,00,000/– है।

प्रश्न 7 : राजस्थान सरकार के कौन से बोर्डों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं को मेडिक्लेम पॉलिसी जारी की जाती है?

उत्तर: वे बोर्ड, निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं जिनमें राजस्थान सरकार का वित्तीय हित निहित है एवं जिन पर राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं, प्रीमियम का भुगतान करने के उपरान्त 01.01.2004 से नियुक्त अपने कार्मिकों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 8 : समस्त मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत परिवार की परिभाषा क्या है?

उत्तर : कर्मचारी के पति/पत्नी, 21 वर्ष तक की दो संतान व माता–पिता जो सामान्यतः राज्यकर्मी के पद स्थापन के स्थान पर रहते हो तथा जिनकी मासिक आय 2000/– रू. से कम हो।

प्रश्न 9 : क्या जुडवां बच्चों के होने की स्थिति में दो से अधिक संतानों पर मेडिक्लेम का लाभ देय है?

उत्तर :

- प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें हैं तो उनको पृथक इकाई माना जाएगा।
- प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से एक से अधिक संतान होती है तो एक ही इकाई मानी जावेगी।

प्रश्न 10 : महिला कर्मचारी के लिए आश्रित परिजन की परिभाषा क्या है ?

उत्तर : महिला कर्मचारी के पास यह विकल्प है कि वह अपने माता–पिता अथवा सास–ससुर में से किसी भी एक को परिवार में शामिल कर सकती है।

प्रश्न 11 : कर्मचारी / कार्मिक किन अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है ?

उत्तर : कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन किसी भी राजकीय चिकित्सालय एवं राज्य सरकार/ विभाग द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में ईलाज करवा सकता है ।

प्रश्न 12 : मेडिक्लेम बीमा योजना में अनुमोदित अस्पताल कौन से है ?

उत्तर : राज्य के अनुमोदित निजी चिकित्सालयों की अद्यतन जानकारी हेतु वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance.rajasthan.gov.in/apps/m_apps/rcsm/hospital.aspx पर देखा जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची निम्नानुसार है –

राजस्थान राज्य से बाहर स्थित राज्य में उपचार कराने के लिए अस्पतालों की सूची

List of Hospitals approved by the State Government for treatment outside Rajasthan

1. ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, नई दिल्ली।
2. बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे।
3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, वैल्लोर
4. फोर्टीज अस्पताल, नई दिल्ली
5. गुजरात स्टेट कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एम पी शाह कैंसर हॉस्पिटल), अहमदाबाद
6. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, चण्डीगढ
7. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली
8. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, बॉम्बे
9. द गुजरात रिसर्च एण्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट (राजस्थान हॉस्पिटल), अहमदाबाद
10. इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाईलेरी साईंस, नई दिल्ली
11. मेदांता द मेडसिटी, गुडगांव (कार्डिओलॉजी, सीटी सर्जरी, जॉईंट रिप्लेसमेंट्स और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए)
12. शैल्बी हॉस्पिटल, अहमदाबाद, नई दिल्ली (केवल जॉईंट रिप्लेसमेंट्स के लिए)
13. इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली (लिवर ट्रांसप्लांट)
14. ग्लोबल हॉस्पिटल, चैन्नई (लिवर ट्रांसप्लांट)
15. स्टर्लिंग हॉस्पिटल, अहमदाबाद

www.rajteachers.com

प्रश्न 13 : नकद विहीन सुविधा किन बीमारियों में प्राप्त है ?

उत्तर : नकद विहीन सुविधा 7 गंभीर बीमारियों पर लागू है, जो इस प्रकार है– (i) कोरोनरी आर्टरी सर्जरी (ii) कैंसर (iii) रीनल फेल्यर दैट ईज फेल्यर ऑव बोथ किडनीज (iv) स्ट्रोक (v) मल्टीपल स्केलेरोसिस (vi) मेनिनजाईटिस (vii) मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स लाईक हार्ट, किडनी, लिवर, लंग, पैनक्रियाज ऑर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।

प्रश्न 14 : नकद विहीन सुविधा के लिये क्या करना चाहिये ?

उत्तर : नकद विहीन सुविधा प्राप्त करने के लिये राज्य कर्मी /परिवारजन के अस्पताल में भर्ती से पूर्व या भर्ती होते ही 24 घंटे के अन्दर परिचय पत्र के साथ संबंधित निजी अस्पताल के माध्यम प्रीऑथराईजेशन टीपीए को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न 15: राज मेडिक्लेम दावे का पुर्नभरण प्राप्त करने के लिए दावे का आवेदन प्रस्तुत / सब्मिट करने की समय सीमा क्या है ?

उत्तर : राज्य कर्मी अस्पताल छोड़ने के 90 दिवस में ईलाज से संबंधित सभी मूल दस्तावजों के साथ दावा प्रपत्र एस.एस.ओ आई.डी से ऑनलाईन सब्मिट करेगा तथा हार्डकॉपी संबंधित जिला बीमा कार्यालय को जमा करायेगा।

प्रश्न 16: बोर्ड / निगम कार्मिकों के लिए मेडिक्लेम दावें के पुर्नभरण के लिऐ दावे के आवेदन की अधिकतम सीमा क्या है ?

उत्तर : बोर्ड / निगम कार्मिक अस्पताल छोड़ने के 90 दिवस में ईलाज से संबंधित सभी मूल दस्तावजों के साथ दावा प्रपत्र की हार्डकॉपी टीपीए के हैल्प डेस्क (साधारण बीमा निधि, ज्योति नगर, वित्त भवन, जयपुर) को जमा करवायेगें।

प्रश्न 17 : क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालय में दावे का पुनर्भरण देय है?

उत्तर : गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों में जनरल वार्ड के लिये सी.जी.एच.एस पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है ये बीमारियां इस प्रकार है– कोरोनरी आर्टरी सर्जरी, वस्कुलर सर्जरी, हॉगिन्स डीजिज, एक्यूट रिटेन्शन ऑफ यूरिन मोर दैन 24 ऑवर्स, एक्यूट मायोकार्डिअल इन्फ्रेक्शन, एक्यूट न्यूमेनाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कैंसर, रीनल फेल्यर दैट ईज फेल्यर ऑफ बोथ किडनीज, स्ट्रोक, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मेनिनजाईटिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स लाईक हार्ट, किडनी, लिवर, लंग, पैनक्रियाज ओर बोन मैरो, एक्सीडेंट्स, डिलीवरी, ट्यूबल प्रेग्नेंसी एण्ड रिलेटेड कॉम्पलीकेशन्स, स्वाईन फ्लू, डेंगू फीवर, बर्स्ट अपेंडिसाइटिस, पैन्क्रियटाइटिस और कोविड–19

प्रश्न 18 : भर्ती अवधि से पूर्व व पश्चात् की कितनी अवधि के ईलाज का पुनर्भरण देय है।

उत्तर : भर्ती अवधि से प्री हॉस्पिटलॉईजेशन के तहत 30 दिवस पूर्व की तथा पोस्ट हॉस्पिटलॉईजेशन की 45 दिवस की पश्चात् के ईलाज का पुनर्भरण देय है।

प्रश्न 19 : पॉलिसी में कब लाभ देय नहीं है (अपवर्जन) ?

उत्तर : पॉलिसी के अपवर्जन :

1. निदान/जांच की निरन्तरता में 24 घण्टों का उपचार नहीं होने पर।
2. हमला/आक्रमण के कारण, विदेशी शत्रु का कृत्य, युद्ध के सदृश परिस्थितियों (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो) से उत्पन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चोट या बीमारी
3. टीका, किसी भी प्रकार का सौंदर्यवर्द्धन उपचार, प्लास्टिक सर्जरी यदि किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण आवश्यक न हो तो, खतना जब तक किसी बीमारी के उपचार के लिए या दुर्घटना के कारण आवश्यक न हो
4. चश्मे, लैंस और सुनने के यंत्र का मूल्य
5. दंत उपचार या शल्य क्रिया यदि दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती न हो
6. आरोग्य लाभ, सामान्य दुर्बलता, कमजोरी की स्थिति, उपचार के लिए आराम, बाहरी संक्रामक बीमारियां या विसंगतियों से उपजे दोष, इरादतन खुद को चोट और नशीले पदार्थ ड्रग्स/ एल्कॉहोल/ विषाक्त पदार्थ/ नशे का आदी होना आदि के मामले में
7. प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से या ह्यूमन टी–सैल लिम्फ ट्रॉपिक वायरस टाईप III (एचटीएलबी–III) या लिम्फाडिनोपैथी वायरस (एलएवी) या इससे जुडे कारणों से या प्राप्त उत्परिवर्तनों से या वेरिएशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या कोई भी सिंड्रोम या ऐसी ही स्थितियां जिन्हें सामान्य रूप से एड्स माना जाता है।
8. प्राथमिक रूप से रोग निदान के लिए अस्पताल या नर्सिंग होम के व्यय, एक्स–रे या प्रयोगशाला में करायी गयी जांचें और ऐसा निदान जो संगत या आकस्मिक और जब कमजोरी या चोट के ऐसे कारक हो जिसके लिए अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती रहकर उपचार प्राप्त करना आवश्यक हो।
8. यदि प्रमाणित उपचार करने वाला चिकित्सक उपचार का हिस्सा न मानता हो तो विटामिन, प्रोटीन और शक्तिवर्धक दवाईयों का व्यय
9. परमाण्विक हथियार / पदार्थों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट या उनके कारण होने वाली चोट के उपचार का व्यय
10. कर्मचारी और उसके आश्रितों की पूर्व में विद्यमान बीमारियां पॉलिसी में आवृत्त है।
11. ऐसी परिस्थितियां जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी और घर पर उपचार हो सकता था।

प्रश्न 20 : वर्तमान GIF (SIPF) विभाग द्वारा अधिकृत Third Party Administrator (TPA) कौनसी संस्था है ?

उत्तर : वर्तमान टीपीए का नाम व पता – **एमडी इण्डिया हैल्थ इंशोरेंस टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है। टोल फ्री नं. 1800–123–171–171 932, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर – 302015 (राजस्थान) मोबाइल नं.: 7219631003, ई–मेल: jaipur@mdindia.com, आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें– +91 8956325949**

www.rajteachers.com

प्रश्न 21 क्या योजना के अन्तर्गत प्रसव लाभ प्राप्त है ?

उत्तर : योजना के अन्तर्गत बीमित कार्मिकों को प्रथम दो जिवित संतानों तक सीजीएचएस पैकेज दरों पर प्रसव लाभ देय है जिसकी अधिकतम सीमा निम्नानुसार है:

(I) सामान्य प्रसव – ₹ 10,000/–

(II) सिजेरियन प्रसव – ₹ 20,000/–

(III) जटिल प्रसव – ₹ 50,000/–

प्रसव के पश्चात प्रथम तीन दिवस तक नवजात शिशु का ईलाज व्यय उपरोक्त अधिकतम सीमा में शामिल है। तीन दिवस पश्चात नवजात को पृथक इकाई माना जावेगा।

प्रश्न 22 क्या कोविड – 19 के उपचार को पॉलिसी के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है ?

उत्तर : हां, विभाग द्वारा जारी मेडिक्लेम पॉलिसी 2020–21 (01.04.2020) में कोविड – 19 के उपचार को पॉलिसी के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड–19 का उपचार कराने पर पुनर्भुगतान देय है।

प्रश्न 23 अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार पर बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा चार्ज वसूला जाएगा।

उत्तर : कार्मिक की श्रेणी को पात्रता मानते हुए बोर्डिंग /अस्पताल वास की सुविधा चार्ज वसूला जाएगा।

श्रेणी	वेतन श्रंखला (7वें वेतन आयोग)	राजकीय अस्पतालों में पात्रता	अधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता	सीजीएचएस पैकेज दरों के आधार पर बोर्डिंग/ अस्पताल वास की अधिकतम शुल्क की सीमा
क	₹ 64000/- और अधिक	डीलक्स	निजी वार्ड	₹ 3000/- प्रति दिवस
ख	₹ 36000/- और अधिक किन्तु 64000/– से कम	कॉटेज	अर्ध निजी वार्ड	₹ 2000/- प्रति दिवस
ग	₹ 36000/– से कम	सामान्य वार्ड	सामान्य वार्ड	₹ 1000/- प्रति दिवस

प्रश्न 24 : कर्मचारी द्वारा स्वयं की वेतन श्रृंखला से अपर श्रेणी बोर्डिंग / अस्पताल वास का उपभोग करने पर कितना पुनर्भरण किया जावेगा ?

उत्तर : कार्मिकों को उनकी वेतन श्रंखला के अनुसार बोर्डिंग / अस्पताल वास का चार्ज देय है। यदि कर्मचारी अपनी वेतन श्रंखला से अपर श्रेणी के कक्ष में ईलाज करवाता है तो उसे बोर्डिंग / अस्पताल वास चार्ज उसकी श्रेणी के अनुसार ही देय होगा, अन्तर राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी एवं यदि कर्मचारी अपनी वेतन श्रंखला से नीचे की श्रेणी के कक्ष में ईलाज करवाता है तो उसे बोर्डिंग / अस्पताल वास चार्ज का वास्तविक भुगतान देय होगा।

पॉलिसी की विस्तृत जानकारी के लिए पॉलिसी

http://sipf.rajasthan.gov.in/Mediclaim/RAJMEDICLAIM%20POLICY%202020.pdf पर देखी जा सकती है।

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

२१/१

(शिप्रा विक्रम)
अतिरिक्त निदेशक (मेडिक्लेम)

www.rajteachers.com